# एक अक्तूबर से जन्म-मृत्यु पंजीकरण के नए नियम

- दो वर्ष से अधिक की देरी पर न्यायिक आदेश जरूरी
- रिकॉर्ड में पाददर्शिता बढ़ाना है इसका उद्देश्य

**नई दिल्ली, एजेंसी।** जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के नियमों को सख्त बनाने वाला कानून देशभर में एक अक्तूबर से लागू होगा। भारत के रजिस्ट्रार जनरल मृत्युंजय कुमार नारायण ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य जन्म और मृत्यु के रिकॉर्ड को सटीक, पारदर्शी, समयबद्ध बनाना है।

बदले नियमों के अनुसार, पंजीकरण में दो वर्ष से अधिक की देरी होने पर पंजीकरण के लिए प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएमएफसी) का आदेश आवश्यक होगा। पंजीकरण में एक वर्ष से अधिक लेकिन दो वर्ष तक की देरी पर पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट (डीएम), उप-मंडल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेश से ही होगा। इसमें सत्यापन और निर्धारित शुल्क भी लिया जाएगा।

पहले दो वर्ष से अधिक पुराने जन्म या मृत्यु का नामांकन भी संभव था, लेकिन एक वर्ष से अधिक विलंब वाली प्रक्रिया के तहत डीएम/ एसडीएम/ अधिकृत कार्यकारी मजिस्ट्रेट के आदेश पर कार्रवाई की जाती थी।

मानसून सत्र के दौरान संसद में जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक पारित हुआ था